



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मानवेन्द्र वेलदार उर्फ विनय कुमार पुत्र भगवान सिंह उर्फ पप्पू हाडा निवासी उमरार खेडा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना कोत० उरई में मु०अ०सं० 39/2019 (वाद संख्या – 68/2019) धारा 363/366/376 भादवि व ¼ पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 02.02.2024 को मा० न्यायालय एडीजे/पॉस्को द्वितीय उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त मानवेन्द्र उर्फ विनय कुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2019 को आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (करीब 04 वर्ष 4 माह) में दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल वृजराज सिंह राजपूत



कोर्ट पैरोकार राहुल लवानियाँ

@jalaunpolice

jalaunpolice

JalaunPolice